

संख्या : 3847 / 1-10-2008-12(71) / 2008-टीसी-1

प्रेषक,

जी० ए० टाउन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, चन्दौली, आजमगढ़ एवं काशीरामनगर।

राजस्व अनुमान-10

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित धनराशि रु०-1,40,00,000/- (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) जग्रिम रूप से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्र०स०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1	इलाहाबाद	3000000
2	चन्दौली	3000000
✓3	आजमगढ़	5000000
4	काशीरामनगर	3000000
	योग:	14000000

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर- 05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या- जी०आई०-134 / 1-11-2007 -46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदाचि न किया जाय। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम एडे तो शेष वाछित धनराशि कोषागार नियम -27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को वेष्य सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम -27 से आहरित धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव आपदा राहत निधि से आवंटित एवं

व्यय हुई अनराशि की सूचता सहित शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अधोतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषाए नियम -27 के अन्तर्गत अनराशि का आहं प्रणाली एवं वितरण केवल देवी आपदाओं जैसे -अग्निकाल, औषधी, तृकाल, यक्षाल, ओलावृष्टि, भूरेखलन, बाढ़ल फटने, आकाशीय विजली अतिवृष्टि, बाढ़, झूँझा आदि के कलशक्षम घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। आमन्य उद्योगों -सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस अनराशि का उपयोग करायी नहीं किया जायेगा।

4. उक्त अनराशि का व्यय प्रस्ताव -3 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यापित कोड मर्दों में राहत अनुमन्य है तो लड़कों निलाकर एक ही थेक के माल्यम से संहारता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815 / 1-10-2007-14(45) / 2003, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार देवी आपदा को सभी मर्दों में दिये जाने वाले ₹० 1000/- से कम अनराशि का वितरण विवरर थेक के माल्यम से तथा ₹० 1000/- या इससे अधिक की अनराशि का वितरण एकाउण्ट पेमी थेक के माल्यम से किया जाव।

5. उक्त स्थीकृत अनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में देवी आपदाओं से प्रभावित व्यवितयों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय को जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायगा।

6. राहत स्थीकृत अनराशि को वेल प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिवियों की उपस्थिति में किया जायेगा। राहत की अनराशि की ग्रासि एवं व्यवित की पहचान के प्रकाण-पत्र के लागे रसीद फर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्रदान कर इसे अभिलेख में रखा जाय। विवरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की जगती छुली बैठक में हुसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकणों में यह भी देखने में आया है कि आदीत अनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्ताक्षर कराकर अपने कार्रवाय की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। नियि से प्रदत्त घनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अत आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को अन उपलब्ध कराना तथा हस्तकालप्रयोग सुनिश्चित करना, अय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कार्रवाय है। अत आपदा नियि से प्रदत्त घनराशि का प्रत्येक रसीद फर पूर्ण सजावता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाव।

8. आपदा गहर नियि से स्थीकृत अनराशि का जिला रसीद पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय दिवरण शासनादेश संख्या 1693 / 1-11-2005-राठो-11

दिनांक 20 जून, 2005 हासा प्रस्तावित प्रारूप पर अंगले मह की 06 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुवत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवृद्धि धनराशि में से यदि बदते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की अनुग्राम का महालेखाकार कार्मनियम में मही महों में पुस्ताकन क्रमाभा जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी० के० टपड़न)

राहत आयुवत एवं संविव

संख्या : 3847(1)/1-10-2008-12(71)/2008-टीसी, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), ८०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुवत, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ एवं अलीगढ़।
3. आयुवत एवं संविव राजस्व परिषद, ८०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद, चन्दौली, आजमगढ़ एवं काशीशामनगार।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-८/११/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गाड़ी बुक।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी नारायण)

अनु संविव